असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

25 अगस्त, 2017

षोडश विधान सभा **शुक्रवार, तिथि 25 अगस्त, 2017 ई०**

सप्तम् सत्र **03 भाद्र, 1939(शक)**

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हमलोगों का कार्य-स्थगन प्रस्ताव है । प्रधानमंत्री जी.....

अध्यक्ष : कार्य-स्थगन तो कार्य-स्थगन के समय में आयेगा न ? अभी तो प्रश्नोत्तर-काल है । प्रधानमंत्री जी इस सदन के विषय कहां हैं ? प्रधानमंत्री जी तो इस सदन के विषय ही नहीं हैं।

(व्यवधान)

आपके नेता बोल रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, आज हमलोगों का जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है, उसको एक्सेप्ट किया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आबिदुर रहमान जी, आपकी बात सुन ली गयी है, अब आप कृपया बैठ जाइए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल : महोदय, आज वित्तीय कार्य भी नहीं है । हमलोगों ने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाया है, उसको मंजूर किया जाय । जिस तरह से व्यापम घोटाला हो रहा था, जो मुख्य आरोपी था महेश मंडल, उनकी मौत हो जाती है । परिजनों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि प्रशासन द्वारा यह सारा काम हुआ है । आज अखबारों में हर जगह, यहां भी छपा है कि एक और मौत हुई है जो कि किंगपिन था । नवीन नाम का कोई है जो मनोरमा देवी का बहुत ही खास और राजदार व्यक्ति था, उसकी भी कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है, महोदय । यह लगातार मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है तो जिस हिसाब से व्यापम घोटाला हुआ है, उसी हिसाब से, उससे भी बड़ा घोटाला यह साबित होने जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय.....

टर्न-1/अंजनी/दि0 25.8.17

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बैठिए न । माननीय नेता प्रतिपक्ष, कार्य-स्थगन सूचना के संबंध में जो बात आप कह रहे हैं, हम तो बराबर कहते हैं कि कार्य-स्थगन की सूचना प्रस्तुत

करने का भी समय नियमावली में निर्धारित है । अगर उस समय आप उठायेंगे तो हम उसपर अपना नियमन देंगे । अभी तो हम उसपर कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं होते हैं । इसलिए आपसे भी, सरकार से भी और सारे सदस्यों से मेरा आग्रह होगा कि अभी तो प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए । फिर जो कार्य-स्थगन सूचना उठाने का समय है, उस समय आप उठाइयेगा, तब हम अपना नियमन देंगे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिन सवालों को प्रतिपक्ष के नेता और विपक्ष के माननीय सदस्य उठा रहे हैं, यह तो वर्ष 2003 का मामला है और सरकार ने जब इसे सी0बी0आई0 को सौंप दिया है, देश की इतनी बड़ी एजेंसी को सौंपा है तो मैं समझता हूँ कि जब पूरी जांच होगी, उसका जब फलाफल आयेगा, तब पता चलेगा । जिन विषयों को ये उठाना चाहते हैं, अगर नियमानुकूल उन विषयों को लायेंगे तो सरकार निशिचित रूप से जवाब देगी ।

(इस अवसर पर विपक्ष के अधिकांश माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में चले आये)

कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक से विपक्ष भाग रहा है । कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में अगर ये लोग चाहते तो जिन विषयों पर अगर ये बहस कराना चाहते हैं नियम-43 के तहत, प्रस्ताव इनका था नियम-43 के तहत, उसपर बहस नहीं चाहते हैं । सरकार तो तैयार है बहस कराने के लिए लेकिन ये बहस में शामिल नहीं होना चाहते हैं, बहस नहीं कराना चाहते हैं । बहस अगर करायेंगे तो पूरी जांच, पूरी प्रक्रिया के बारे में जब जानकारी मिलेगी और सत्यता पता चलेगी तो पैर के तले से जमीन खिसक जायेगी। इसलिये ये बहस कराना नहीं चाहते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें ... कृपया शांति बनाये रखें ।

(व्यवधान जारी)

अब सदन की कार्यवाही 12.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न–2/अशोक/ 25.08.2017

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । कार्य स्थगन प्रस्ताव ।

श्री अबिदुर रहमान : महोदय,...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आबिदुर रहमान जी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य अरूण जी, बैठिये । माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा जी, बैठिये न ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ कहने लगे)

अभी तो कार्य–स्थगन सूचना के संबंध में मैं बता रहा हूँ । माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 अगस्त, 2017 को माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, श्री महबूब आलम, श्री मो0 जावेद एवं श्री ललित कुमार यादव से कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

आज सदन में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य निर्धारित हैं जिसमें गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–19(1) के तहत, नियमानुकूल नहीं रहने के कारण, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

आपका तो इसमें था नहीं ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष शॉर्ट सेशन में कई दिनों से यह मसला . . .

अध्यक्ष : तो इसके लिये विकल्प दिया गया था न !

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष लम्बित था । महोदय, आप सदन के अध्यक्ष हैं . . .

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सदस्य हाऊस के सीनियर लीडर हैं, नियमानुकूल कोई प्रश्न को उठाना चाहिए, जब मन होगा खड़े हो जायेंगे, जब मन होगा कार्य–स्थगन के पक्ष में खड़े हो जायेंगे, कार्य–स्थगन में इनका हस्ताक्षर भी नहीं है । इनका कार्य–स्थगन भी नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अरूण जी बैठिये । आप बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : मंत्री जी को बोलने का अधिकार है ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अधिकार है, अधिकार सम्मत बोल रहे हैं, बिना अधिकार के नहीं बोल रहे हैं । अधिकार है । आप नहीं पढ़े हैं, पढ़ लीजिये नियमावली ।

शून्य-काल

अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, अरूण जी बैठिये । ठीक है बैठिये, वे लोग बैठ गये हैं । अब शून्य-काल की सूचना होने दीजिये । शून्य काल है श्री निरंजन कुमार मेहता जी का। माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता ।

(व्यवधान)

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, बिहारीगंज विधान सभा क्षेत्र के मुरलीगंज प्रखंड अन्तर्गत जोरगामा, रामपुर, रजनी, रघुनाथपुर, ग्वालपाड़ा प्रखंड के सरौनी, शाहपुर, टेमाभेंला, बबहनगामा, झलाड़ी वीरगांवचरतरा तथा झिटकियाककलौतहा तथा उदाकिशुनगंज का करौतीपीपरा, बराहीआनन्दपुरा पंचायतों में प्रलयकारी बाढ़ से हुई फसल एवं गृह की बर्वादी का पूर्णतः उचित मुआवजा सरकार पीड़ितों को शीघ्र दे ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : मैं चाहता हूँ.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये । अभी तो चलने दीजिये । संजय जी, अगर ये लोग सदन नहीं चलने देना चाहते हैं तो आप लोग इसमें सहयोग क्यों करना चाहते हैं ? चलिये ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : पहले बैठेंगे तब बोलेंगे ।

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, हमलोग विपक्ष की तरफ से हमेशा यह कोशिश किया है कि सदन चले, सामान्य स्थिति में चले, मगर जिस ढंग से, जिस ढंग से रूलिंग पार्टी के विधायकों ने.....

(व्यवधान)

एक मंत्री नहीं बोल पायेंगे, एक मंत्री नहीं बोल पायेंगे । समझ जाइये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : धमकी दे रहे हैं ? धमकी से नहीं चलेगा । धमकी से नहीं चलने वाला है, नियमावली से चलेगा, नियम से चलेगा । धमकी से सदन नहीं चलेगा ।

(इस अवसर पर विपक्ष के अधिकांश मा0 सदस्यगण वेल में चले आये)

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्य मंत्री : महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2016-17 के उपलब्धि प्रतिवेदन की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्य मंत्री : महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में चतुर्थ तिमाही के प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्य मंत्री : महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 की धारा-11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में प्रथम तिमाही के प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्य मंत्री : महोदय, मैं बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 की धारा-21 (5) (यथा बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की घरा-37) के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-261, 262, 269, 270 दिनांक 07.10.2016 / एस0ओ0-285, 286, दिनांक 11.11.2016 / एस0ओ0-307, 308, दिनांक-16.12.2016 एवं एस0ओ0-32, 33 दिनांक 31.03.2017 की एक-एक प्रति सदन पटन पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 की धारा-21 (5) (यथा बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की घरा-37) के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-261, 262, 269, 270 दिनांक 07.10.2016 / एस0ओ0-285, 286, दिनांक 11.11.2016 / एस0ओ0-307, 308, दिनांक-16.12.2016 एवं एस0ओ0-32, 33 दिनांक 31.03.2017 की प्रतियाँ सदन पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्य मंत्री : महोदय, मैं बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या- एस0ओ0-275, 276, 277 एवं 278, दिनांक- 07.10.2016 की एक-एक प्रति सदन पटन पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या- एस0ओ0-275, 276, 277 एवं 278, दिनांक- 07.10.2016 की प्रतियॉ सदन पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्य मंत्री : महोदय, मैं बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा-10(4) (यथा बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा-38) के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ. 271, 272, दिनांक 07.10. 2016 तथा एस.ओ.-287, 288, दिनांक 11.11.2016 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा-10(4) (यथा बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा-38) के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ. 271, 272, दिनांक 07.10.2016 तथा एस.ओ.-287, 288, दिनांक 11.11.2016 की प्रतियॉ सदन पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्य मंत्री : महोदय, मैं बिहार होटल विलास वस्तु कराधार अधिनियम, 1998 की धारा-20(2) के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-267 तथा 268, दिनांक 07.10.2016 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कुछ कहते हुए
सदन से बहिर्गमन किया)

टर्न-3/ज्योति

25-08-2017

अध्यक्ष : बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-20(2) के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-267 तथा 268 दिनॉक 07-10-2016 की प्रति सदन पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी । प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम,2007 की धारा-166 के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या - एस0ओ0-103,104, दिनॉक 29-06-2017/ एस0ओ0-115, 116, 117, 118, 119 एवं 120, दिनॉक 19-07-2017 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-166 के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या- एस0ओ0-103, 104, दिनॉक-29-06-2017/ एसओ0-115,

116, 117, 117, 119 एवं 120 दिनॉक 19-07-2017 की प्रतियॉ सदन पटल पर तीस दिनों तक रखी रहेंगी । माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: महोदय, मैं बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9(4) के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या- एस0ओ0-265 तथा 266 दिनॉक 07-10-2016 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा - 9(4) के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-265 तथा 266 दिनॉक 07-10-2016 की प्रतियॉ सदन पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-115 (2) के तहत '' बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली,2017 की एक एक प्रति सभा मेज पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ।

श्री पशुपति कुमार पारस,मंत्री : महोदय, मैं '' बिहार गव्य संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2013'' एवं ''बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त)(संशोधन) नियमावली, 2016'' की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

याचिकाओं का उपस्थापन

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सचिव : महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार 38 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, अभी विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया है और पिछले तीन दिनों से माननीय मुख्यमंत्री और मुझे जिस-जिस प्रकार की गालियॉ दी जा रही हैं, जिस-जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है एक तो मैं आपसे आग्रह करुंगा कि सदन की कार्यवाही में से वैसे शब्दों को निकाल दिया जाय और अध्यक्ष महोदय, बड़ा दु:खद यह है कि शीशे के घर में रहने वाले लोग दूसरों पर पत्थर चला रहे हैं । एक कहावत है - चोर मचाए शोर । जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, वे लोग हमलोगों पर आरोप लगा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले इस सृजन सहयोग समिति के घोटाले को बिहार पृथ्वी दिवस के कार्यक्रम

में उन्होंने उजागर किया, दो घंटे में हेलीकॉप्टर से पूरी टीम गयी, पूरे मामले की जॉच के लिए और माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया सी.बी.आई. जॉच की तो आपने मांग की सी.बी.आई. जॉच की तो माननीय मुख्यमंत्री ने बिना देर किए सी.बी.आई. जॉच का आदेश दे दिया । आपके पास कोई प्रमाण है तो प्रस्तुत कीजिये सी.बी.आई. के सामने और अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मेरे पास कागज है कि 2000 में किसकी सरकार थी बिहार में और सृजन सहयोग समिति को भागलपुर सबौर में ट्रायसम का भवन किसने दिया उपयोग करने के लिए ? किसकी सरकार थी और 2003-04 के करीब 24 डिसमील जमीन सबौर के अंदर सृजन सहयोग समिति को 30 साल के लीज पर किसकी सरकार ने दिया ? कौन लोग थे मुख्यमंत्री ? कौन थे वित्त मंत्री ? अध्यक्ष महोदय, और इतना ही नहीं तो इस सृजन सहयोग समिति को उनके सृजन सहयोग समिति के बैंक खाते में खाता खोलने का आदेश किसके समय में दिया गया ? कौन थे डी.एम. ? कौन थे वित्त मंत्री ? कौन थे मुख्यमंत्री ? सारे बी.डी0ओ0 को निर्देश दिया गया कि सृजन सहयोग समिति में खाता खोलकर सरकारी पैसा जमा किया जाय । एक बार नहीं दो-दो बार इस तरह का आदेश दिया गया । तो अध्यक्ष महोदय, कौन थे मुख्यमंत्री ? किनकी सरकार थी ? अगर आपके पास प्रमाण है तो सी.बी.आई. जॉच का आदेश हो चुका है, आप उनके सामने जाकर कागज प्रस्तुत कीजिये । लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है इस बात का कि न तो बाढ़ पर चर्चा होने दिया, आज पूरा बिहार बाढ़ में डूब रहा है । हमारे सारे विधान सभा के सदस्यगण अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर बाढ़ राहत के कामों में लगेंगे । इस सदन में चर्चा हो सकती थी लेकिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्ष में बहस करने से इन्कार कर दिया और कहा कि हम बहस नहीं करेंगे और हंगामा करते रहे । अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आग्रह है कि पिछले तीन-चार दिनों में असंसदीय शब्दों का प्रयोग हमलोगो के बारे में किया गया है, आप कार्यवाही को देख लें और उन शब्दों को कार्यवाही से निकालने की कृपा की जाय ।

अध्यक्ष : पूर्व में भी यह सामान्य परम्परा रही है । प्रतिदिन की कार्यवाही को जब अंतिम रुप दिया जाता है तो हमने पहले भी देखा है कि जितने भी असंसदीय शब्द या कोई अपमानजनक टिप्पणी है,उसको निकाला जाता है । आलोचना अलग चीज होती है लेकिन अपमानजनक टिप्पणी, जो हमने देखी है, पहले भी उसको निकाला गया है । यह सामान्य शिष्टाचार है । भविष्य में भी कोई इस तरह के असंसदीय शब्द या कोई व्यक्तिगत अपमानजनक टिप्पणी होती है, उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–4/25.8.2017/बिपिन

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । गैर–सरकारी संकल्प लिए जाएंगे ।

गैर–सरकारी संकल्प

क्रम सं0–1 : श्री रामसेवक सिंह, स.वि.स.

श्री रामसेवक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला के हथुआ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड फुलवरिया में मिश्रबतरहॉ से श्रीपुर एवं मिश्रबतरहॉ से कोयलादेवा जाने वाली पथों का शीघ्र निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, अभिस्तावित प्रश्न दो पथों से संबंधित है –

1. मिश्रबतरहॉ से श्रीपुर पथ का निर्माण पी.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत केंद्रीय एजेंसी इरकॉन के द्वारा कराया गया है । पथ की अनुरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है एवं पथ श्रेणी–1 की अर्हता नहीं रखता है ।

2. मिश्रबतरहॉ से कोयलादेवा पथ का निर्माण पी.एम.जी.एस. वाई. अंतर्गत कराया गया है । पथ की अनुरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है एवं पथ श्रेणी–1 की अर्हता नहीं रखता है । सम्प्रति विभाग द्वारा श्रेणी–1 के अंतर्गत सम्मिलित पथों का ही मरम्मती कार्य कराया जा रहा है । अभिस्तावित पथों की मरम्मती का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रामसेवक सिंह : वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री रामसेवक सिंह का संकल्प वापस हुआ ।

क्रम सं0–2 : श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, स.वि.स.

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम सं0-3 : श्री राज किशोर सिंह, स.वि.स.

श्री राज किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत ग्राम पंचायत भगवानपुर रत्ती में राजदेव राय के घर से जोगिया पुल होते हुए सलेमपुर शिवनाथ महतो के घर तक अति जर्जर सड़क का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पथ की लंबाई 3 कि0मी0 है । यह पथ राज्य कोर नेटवर्क सी.एन.सी.पी.एल. के क्रमांक-1 पर लगरी पकरम्बारा रोड से रामपुर मिल्की के नाम से अंकित है । इसका सर्वे किया जा चुका है एवं डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राज किशोर सिंह : वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री राज किशोर सिंह का संकल्प वापस हुआ ।

क्रम सं0-4 : श्री महबूब आलम, स.वि.स.

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम सं0-5 : श्री अचमित ऋषिदेव, स.वि.स.

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया-सहरसा एन.एच. में खुटहरी मोड़ से मोहनिया-पिपरा-कदमाहा-वीरनगर-चरैयाहाट-खजुरी होते हुए एन.एच.-327 ई तक ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क को राज्य उच्च पथ (स्टेट हाइवे)में परिवर्त्तित करावे।"

श्री नंद किशोर यादव,मंत्री: महोदय, प्रश्नाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित है । फिजिबिलिटी प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है । प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री अचमित ऋषिदेव: मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अचमित ऋषिदेव का संकल्प वापस हुआ ।

क्रम सं0-6 : श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स.वि.स.

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के पीपरा कोठी, एन.एच.-18 से सेमरा बाजार एवं कल्याणपुर प्रखंड मुख्यालय होते हुए राजपुर पी.डब्लू.डी. सड़क तक के आर.डब्लू.डी. सड़क को स्टेट हाइवे में परिवर्त्तित करावे ।''

श्री नंद किशोर यादव,मंत्री: महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग या अन्य विभाग के पथों को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण हेतु एक नियम बनाया है । उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए निदेश दिया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह: धन्यवाद । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह का संकल्प वापस हुआ ।

क्रम सं0-7 : श्रीमती लेशी सिंह, स.वि.स.

श्रीमती लेशी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिलान्तर्गत धमदाहा प्रखंड के दमगड़ा दास टोला के निकट धमदाहा वितरणी के 89आर.डी. तथा के. नगर प्रखंड अधीन करूवारहिका के निकट काढ़ागोला वितरणी के 26आर.डी. पर पुल निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित दो पुलों से संबंधित है जिसकी स्थिति निम्नवत् है -

1. धमदाहा प्रखंड के दमगड़ा दास टोला के निकट धमदाहा वितरणी के 89 आर.डी. पर पुल- उक्त पुल का चेकलिस्ट प्राप्त हुआ है, तकनीकी समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

2. के. नगर प्रखंड अधीन करूवारहिका के निकट काढ़ागोला वितरणी के 26आर.डी. पर पुल- उक्त पुल मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत निर्माणधीन पथ विशुबाबा स्थान से आदिवासी टोला करुवारहिका के आरेखन पर प्रथम किलोमीटर में सिंचाई विभाग के कैनाल पर अवस्थित है । उक्त पथ के प्राक्कलन में पुल बनाने का प्रावधान नहीं है । इसके निर्माण के लिए सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है । अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्रीमती लेशी सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि दमगड़ा दास टोला में जो कैनाल पर पुल बनना है उसकी प्रक्रिया चल रही है जो 89आर0डी0 के0 नगर

प्रखंड के अधीन है । करूवारहिका के निकट दोनों तरफ से सड़क बन रहा है । ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से स्वीकृति मिली है । टेंडर हुआ है और काम चल रहा है लेकिन बीच में कैनाल पर जो बड़ी नहर है उसपर पुल अति आवश्यक है, नहीं तो सड़क का निर्माण कराने का कोई औचित्य नहीं है । बहुत बड़ी आबादी है उधर । जो भी हो, जैसे भी हो सर,...

अध्यक्ष : मंत्री जी दिखवाएंगे ।

श्रीमती लेशी सिंह : वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती लेशी सिंह का संकल्प वापस हुआ ।

क्रम सं0-8 : श्री राजू तिवारी, स.वि.स.

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत गोविन्दगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अरेराज नगर पंचायत में भैरव स्थान मंदिर के चौराहे से बहादुरपुर पीच रोड को जोड़ने वाली पथ में पुल और रोड का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल राज्य के किसी भी कोर नेटवर्क में सम्मिलित मार्गरेखन पर नहीं है । स्थल के एक तरफ की बसावट भैरव स्थान है एवं दूसरी तरफ की बसावट बहादुरपुर है । भैरवस्थान एवं बहादुपुर को अलग-अलग निर्मित पथों से संपर्कता प्राप्त है । उक्त के आलोक में अभिस्तावित स्थल पर पथ एवं पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, अरेराज नगर पंचायत में हमेशा जाम रहता है । यह बन जाएगा तो बाइपास हो जाएगा जहां मंदिर में हमेशा भीड़ रहती है और पूरा बाजार इससे जाम रहता है । इसके बनने से, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं मंत्री जी से कि इसको एक बार और दिखवा करके जाम से मुक्ति दिलाएं । बाजार हमेशा जाम रहता है मंदिर के पास । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी का संकल्प वापस हुआ।

क्रम सं0-9 : श्रीमती गुलजार देवी, स.वि.स.

श्रीमती गुलजार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला अंतर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित भेजा कोशी बांध के किनारे भेजा ललवाराही के बीच कोशी नदी पर उच्चस्तरीय आर.सी.सी. पुल का निर्माण करावे ।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल पी.एम.जी.एस.वाई. अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत पी.एम.जी.एस.वाई. पथ भेजा कोशी बांध से महपतिया पर अवस्थित है । पी.एम.जी.एस.वाई. मिसिंग ब्रीज के तहत प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है जिस पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती गुलजार देवी : वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती गुलजार देवी का संकल्प वापस हुआ ।

टर्न-05/कृष्ण/25.08.2017

क्रम संख्या : 10-श्री राम बालक सिंह,स0वि0स0

श्री राम बालक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत मुसरीघरारी चौक मुख्य मार्ग एन0एच0 28 एवं एन0एच0 103 को जोड़ने वाली चौराहा पर गोलम्बर का निर्माण करावे । "

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय,

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, वहां पर गोलम्बर से अधिक फ्लाई ओवर की अवश्यकता है।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, मुसरीघरारी चौक पर जंक्शन इम्प्रुवमेंट का काम किया जाना है । मुसरीघरारी चौक के बायीं तरफ थाना भवन एवं मंदिर द्वारा सरकारी भूमि का अतिक्रमण होने के कारण मुसरीघरारी चौक पर जंक्शन इम्प्रुवमेंट का कार्य बाधित है । मंदिर एवं थाना भवन का स्थानान्तरण का कार्य प्रगति पर है । अतिक्रमण मुक्त होते ही जंक्शन इम्प्रुवमेंट का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा । विभाग को लगता है कि जंक्शन इम्प्रुंवमेंट होने के उपरांत मुसरीघरारी चौक पर गोलम्बर के निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी । जब वहां बहुत चौड़ा हो जायेगा तो अलग-अलग दिशाओं में गाड़ियां जा सकेगी। केवल आमने-सामने वाले को थोड़ी कठिनाई होती है, उसके बाद कठिनाई दूर हो जायेगी।

महोदय, पूरा नक्शा बनाया है इसका । इसकी पूरी समीक्षा की गयी है । यह काम प्रस्तावित है । इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री राम बालक सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य,श्री राम बालक सिंह का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या : 11- श्री राजेश कुमार,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 12-श्री मनोहर प्रसाद सिंह,स0वि0स0

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड के गोविन्दपुर घाट और बहरसाल के बीच महानंदा नदी पर पुल का निर्माण करावें ।"

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : यह ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित है ।

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल राज्य कोर नेटवर्क के क्रमांक-7 पर अंकित पथ गोविंदपुर चौक से बहरसाल पथ के आरेखन के दूसरे किलोमीटर के प्रवाहित महानन्दा नदी के मुख्य धार पर अवस्थित है । उक्त पुल की लंबाई लगभग 500 मीटर होगी । उक्त पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । परन्तु ऊपर वर्णित पथ मुख्यमंत्री ग्राम्य संपर्क योजना नाबार्ड सम्पोषित के अन्तर्गत चयनित है । उक्त पुल एवं पहुंच पथ को छोड़कर शेष लंबाई के लिये पथ का डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह का प्रस्ताव वापस हुआ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री हरि नारायण सिंह ने आसन ग्रहण किया)

क्रम संख्या : 13-श्री समीर कुमार महासेठ,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 14-श्रीमती सुनीता सिंह चौहान,स0वि0स0

श्री सुनीता सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसण्ड अनुमंडल मुख्यालय में महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे।"

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : सभापति महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना यह है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है, जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । सीतामढ़ी जिले के बेलसण्ड अनुमंडल में पूर्व से ही जे0एस0 कॉलेज,चन्दौना एक अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित है, जहां छात्र-छात्रायें उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं । संप्रति बेलसण्ड अनुमंडल में महिला डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अत: मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करता हूं कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती सुनीता सिंह चौहान का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या : 15-श्री शिवचन्द्र राम,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 16-श्री कुमार सर्वजीत महासेठ,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 17-श्री राम विलास पासवान,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 18-श्री सैयद अबु दौजाना,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 19-श्री गिरधारी यादव,स0वि0स0

श्री गिरधारी यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मेडिकल कॉउंसिल ऑफ इन्डिया के गाईड लाईन के अनुरूप राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में आई0सी0यू0 का निर्माण करावे । "

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री : सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में 20 जिलों में आई0सी0यू0 स्थापित है, शेष 18 जिलों में आई0सी0यू0 स्थापित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री गिरधारी यादव : सभापति महोदय,एम0सी0आई0 के गाईड लाईन के अनुसार सभी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में स्वीकृत बेड का 10 परसेंट आई0सी0यू0 रखना अनिवार्य है परन्तु राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 10 परसेंट क्या, 2 परसेंट भी आई0सी0यू0 नहीं है । इसलिए जो गरीब मरीज आते हैं, उनको निजी नर्सिंग होम में जाना पड़ता है, जिसके कारण गरीबों का इस राज्य में बहुत शोषण हो रहा है । इसीलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि निश्चित तौर पर इस पर ध्यान दें । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य, श्री गिरिधारी यादव का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या : 20-श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव,स0वि0स0

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तेतरिया प्रखंड के हसनपुर-हरपाली के बीच बागमती नदी पर पुल का निर्माण करावे । "

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को बाद में जवाब भेजवा देंगे ।

क्रम संख्या : 21-श्री ललन पासवान,स0वि0स0

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वह रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर प्रखंड के चेनारी शिवसागर एस0एच0 पथ से भद्रशीला सोनहर होते हुये रायपुर चौक तक जानेवाली पथ का जीर्णोद्धार करावे । "

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : सभापति महोदय,रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर प्रखंड के अन्तर्गत चेनारी एस0एच0 पथ से भद्रशीला होते हुये सोनहर तक पथ का निर्माण वर्षों पूर्व राष्ट्रीय समय विकास योजना के तहत किया गया था । यह पथ क्षतिग्रस्त हो गया है । यह श्रेणी-2 का पथ है । वर्तमान में विभाग द्वारा श्रेणी-1 के पथों की मरम्मति प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है । पुनः सोनहर से पटखैलिया होते हुये रायपुर चौक तक पथ निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत बी0आर 28 के0 192 के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमंडल, सासाराम-2 द्वारा वर्ष 2008-09 में कार्य प्रारंभ किया गया। संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के फलस्वरूप एकरारनामा की कंडिकाओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई करते हुये इनके एकरारनामे को विखंडित कर दिया गया । वर्तमान में इस पथ का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित स्थिति के आलोक मैं माननीय सदस्य से आग्रह है कि आप अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री ललन पासवान : महोदय, 2008 में यह सड़क बनी थी और वह इस तरह से टूट गयी है कि उस पर मोटरगाड़ी क्या, बैल गाड़ी भी नहीं चल सकती है और जिस संवेदक पर इन्होंने कार्रवाई की है, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो टूटा हुआ है, वह तो अलग है लेकिन सोनहर के बाद 2008 से ही वह स्वीकृत पथ था । आधा बना और आधा बना ही नहीं रायपुर चौक पटखैलिया तक ।

अतः माननीय मंत्री से यह आग्रह करते हुये अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं कि चूंकि यह तीन चार पथों सहित मुख्यालय आने का मुख्य पथ है और उधर से घूम कर आने में 25 से 30 किलोमीटर ज्यादा पड़ता है, इसलिए एक समय सीमा के अन्दर इसका निर्माण कराने की कृपा करें ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): माननीय मंत्री ।

श्री शैलेश कु मार,मंत्री : ठीक है । दिखवा लेंगे ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री ललन पासवान का प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रम संख्या : 22-श्री निरंजन कुमार मेहता,स0वि0स0</u>

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिला में बिहारीगंज विधान सभा के अन्तर्गत उदाकिशुनगंज या ग्वालपारा में मक्का उद्योग का कारखाना स्थापित करावे । "

श्री जय कुमार सिंह,मंत्री : सभापति महोदय, वर्तमान में राज्य में सितंबर,2016 से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति,2016 लागू है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण की परियोजनाओं को

प्राथमिकता प्रक्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है तथा उनके लिये विशेष प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान भी किया गया है । सरकार द्वारा स्वयं की उद्योग की स्थापना नहीं की जाती है अपितु उद्योग की स्थापना हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है ।

अतः माननीय सदस्य से निवेदन है कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि हमलोगों का क्षेत्र मक्का का बहुत बड़ा उत्पादन का क्षेत्र है । किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है । मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जब भी कोई मौका लगे तो हमने अपने विधान सभा क्षेत्र के लिये जो मांग किया है, उसमें मक्का उद्योग की स्थापना कराया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह) : सदन की सहमति से मा0स0श्री निरंजन कुमार मेहता का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-6/राजेश/25.8.17

क्रम संख्याः 23-श्री चन्द्रसेन प्रसाद, स0वि0स0

श्री चन्द्रसेन प्रसादः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कृषि की महत्ता को देखते हुए एकंगर अंचल के अधीन सरकार की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध जमीन पर नालंदा जिला में एक विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करावें।"

श्री प्रेम कुमार, मंत्रीः महोदय, एकंगर अंचल के अधीन नालंदा जिला में नये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । वर्तमान में नालंदा जिला में उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय में कार्यरत है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपने संकल्प को वापस ले लें ।

श्री चन्द्रसेन प्रसादः महोदय, मैं मानता हूँ और माननीय मंत्री जी भी उसी क्षेत्र से घूमकर यहाँ तक आते हैं लेकिन हम माननीय मंत्री जी से कोई दबाव नहीं बल्कि हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि जब वे आते रहे हैं और हमारा नालंदा जिला कृषि का क्षेत्र रहा है,उद्यान महाविद्यालय,नूरसराय में खुला है,उसी तरह से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कराने का काम करें, इसी अनुरोध के साथ मैं अपना संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): सदन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या : 24-श्रीमती बेबी कुमारी, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 25-श्री सुबोध राय, स0वि0स0

श्री सुबोध राय: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत सुल्तानगंज (अजगैबी-नाथ धाम) से देवघर तक एक माह लगातार चलने वाला विश्वविख्यात श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: सभापति महोदय, प्रत्येक वर्ष संपूर्ण श्रावण माह की अवधि में विभिन्न राज्यों एवं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु भागलपुर जिलान्तर्गत सुल्तानगंज स्थित गंगाधाम से जल लेकर 108 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा करते हुए देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम के महादेव जी के मंदिर में जलाभिषेक करते हैं । सुलतानगंज से श्रद्धालु गंगाजल लेकर बिहार राज्य के 85 किलोमीटर की यात्रा करते हैं । मुख्य मेला झारखंड राज्य के देवघर में आयोजित होता है, जो बिहार सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर है । उल्लेखनीय है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज में आयोजित होने वाले मेले को राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य मेला प्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया है, जिससे संबंधित अधिसूचना-1930 दिनांक 03.05.2008 निर्गत है । उल्लेखनीय है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सुल्तानगंज (अजगैबीनाथ धाम) से देवघर मेले को प्रतिवर्ष विभाग द्वारा राशि आवंटित की जाती है, साथ ही उक्त मेले के सर्वांगीण विकास हेतु इसे बिहार राज्य मेला विकास प्राधिकार के प्रबंधन में लिया जा चुका है । उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम, 2008 में किसी मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिये जाने का प्रावधान नहीं है, चूंकि मुख्य मेला झारखंड राज्य के देवघर जिला में किया जाता है एवं मेला पथ बिहार एवं झारखंड दोनों राज्यों में अवस्थित है । अत: समेकित मेला सुल्तानगंज से देवघर में आयोजित होने वाले मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को बिहार एवं झारखंड राज्य के द्वारा संयुक्त रुप से प्रस्ताव भेजा जाना अपेक्षित है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुबोध राय: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करता हूँ कि सरकार तो अब अपनी है केन्द्र में भी और यहाँ भी, इसलिए झारखंड सरकार से और यहाँ की सरकार से, दोनों सरकार बात-चीत करके संयुक्त रुप से इस प्रस्ताव को जल्द भेजे ताकि अगला वर्ष जो आने वाला होगा, उसमें राष्ट्रीय मेला का दर्जा सुलतानगंज के श्रावणी मेला को प्राप्त हो जाय, इसी अनुरोध के साथ मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री सुबोध राय जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या : 26–डा0 रंजु गीता, स0वि0स0

डा0 रंजु गीता: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नानपुर प्रखंड के विरार पंचायत के ग्राम विरार से कोयली पथ का निर्माण करावें ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 3.4 किलोमीटर है, इस पथ के रेखांकण पर पड़ने वाले कोयली ग्राम कोयलीभदियन आर0सी0डी0 पथ पर अवस्थित है तथा विरार ग्राम को एम0एन0पी0 से निर्मित पथ बेला से गौरी पथ से संपर्कता प्राप्त है । इस पथ पर अन्य कोई बसावट नहीं है, जिस कारण इस पथ को किसी भी कोरनेट वर्क में शामिल नहीं किया जा सकता है । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगी ।

डा0 रंजु गीता: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बातें बतायी, वह बिल्कुल ही सही है लेकिन विरार से कोयली जाने के लिए लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और विरार और कोयली जहाँ का मैं संकल्प दी हूँ, वह पूरे बसावट के बीच में है, अगर इसकी जानकारी वहाँ के पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है कि कोई बसावट नहीं है, तो यह बिल्कुल ही गलत है, विरार और कोयली बहुत आबादी वाली जनसंख्या है और यह बीच में गॉव का रास्ता है और 15 किलोमीटर की दूरी विरार से कोयली होते हुए और फिर कोयली बाजार आना पड़ता है और ग्रामीणों का मुख्य बाजार कोयली बाजार होता है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि पुन: इसपर विचार करते हुए इस अतिआवश्यक, लोकहित में इस पथ का निर्माण कराने की कृपा करें । अत: मैं अनुरोध के साथ और विश्वास के साथ अपना संकल्प को वापस लेती हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्या डा0 रंजु गीता जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या : 27, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

श्री केदार प्रसाद गुप्ता: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कुढ़नी प्रखंड के 14 पंचायत अलग कर मनीयारी को प्रखंड का दर्जा प्रदान करें ।"

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: सभापति महोदय, मुजफ्फरपुर जिलानतर्गत मनीयारी को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में विभाग को प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । उक्त प्रतिवेदन के आलोक में

प्रस्ताव को सचिवों की समिति के समीक्षार्थ रखा जाना है, तदुपरांत समिति के द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव को मंत्रियों के समूह के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा, जिसकी अनुशंसा के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ताः महोदय, कुढ़नी बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड 39 जिला का प्रखंड है, सरकार के जन कल्याणकारी योजना जन-जन तक नहीं पहुंच पाती है,इसलिए हम समझते हैं कि जनहित में, पहले तो हमलोग समझते थे कि विरोध में है, इसलिए नहीं बन रहा है लेकिन अब तो कुढ़नी की जनता के आर्शीवाद से सरकार चल रही है,इसलिए हम तो माननीय मंत्री महोदय से चाहेंगे कि अब जितना जल्द हो सके मनियारी को प्रखंड बनवा दीजिये ताकि सरकार का जो संकल्प है, वह जन-जन तक पहुंचे । इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या : 28-श्री मुन्द्रिका सिंह यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 29-श्री राहुल तिवारी, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 30-श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 31-श्री सरोज यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 32-श्री निरंजन राम, स0वि0स0

श्री निरंजन रामः सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भभुआ जिलान्तर्गत मोहनियॉ प्रखंड के पुसौली रेलवे गुमटी से पावर ग्रीड के बीच से ग्राम-वरहुली तक जाने वाली सड़क का पक्कीकरण करावें ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्रीः महोदय, अभिस्तावित पथ का डी0पी0आर0 नाबार्ड शीर्ष अन्तर्गत तैयार कर लिया गया है, जिसपर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है, प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के

उपरांत इसके निर्माण की कार्रवाई का काम किया जायेगा । अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री निरंजन रामः सभापति महोदय, मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री निरंजन राम जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-7/सत्येन्द्र/25-8-17

क्रम संख्या : 33-श्री विजय कुमार खेमका,स0वि0स0

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): इन्होंने अधिकृत किया है श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी को।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह उत्तर बिहार का सीमावर्त्ती क्षेत्र सीमांचल की ह्रदयस्थली पूर्णियां जिला मुख्यालय में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के तर्ज पर केन्द्रीय हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना कराने हेतु केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से सिफारिश करे।''

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा,मंत्रीः सभापति महोदय,प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्णियां प्रमंडल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पूर्णियां विश्वविद्यालय, पूर्णियां की स्थापना की गयी है। यह विश्वविद्यालय शीघ्र ही संचालित होने जा रहा है। राज्य में पूर्व से ही दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय क्रमशः दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गया तथा महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी पूर्व से ही संचालित है। सम्प्रति पूर्णियां जिला मुख्यालय में केन्द्रीय हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय मानव संसाधन विकास विभाग को अनुशंसा भेजने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है । अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः सभापति महोदय, मात्र अनुशंसा करना है । प्रस्ताव तो इस प्रकार का कोई राज्य सरकार के पास नहीं है इसलिए प्रस्ताव के लिए ही आग्रह कर रहा हूँ कि राज्य सरकार ऐसे प्रस्ताव की अनुशंसा भारत सरकार को करे और इस आशा और उम्मीद के साथ कि राज्य सरकार इस पर सकारात्मक सोचेगी । मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): सदन की सहमति से यह संकल्प वापस हुआ।

क्रम संख्या : 34–श्री मो0 नेमतुल्लाह,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या: 35–श्री रवीन्द्र सिंह,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 36–श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 37–श्री नीरज कुमार सिंह,स0वि0स0

श्री नीरज कुमार सिंह: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड अन्तर्गत वीरपुर एस0एस0बी0 कैप से पूरब हइया धार पर हाई लेवल ब्रीज का निर्माण करावे।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय,वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल बी0ए0डी0पी0 अन्तर्गत निर्मित बसंतपुर एस0एस0बी0 कैम्प से शंकरपुर मदरसा पथ के प्रथम कि0मी0 पर अवस्थित है । शंकरपुर बसावट पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित पथ भगवानपुर शंकरपुर पथ से जुड़ा हुआ है एवं बसंतपुर एस0एस0बी0 कैम्प बोर्डर रोड पर अपस्थित है। बीरपुर एस0एस0बी0 कैम्प एवं बसंतपुर एस0एस0बी0 कैम्प एक ही नाम है । अभिस्तावित पुल की लम्बाई 200 मीटर होगी । उक्त पुल स्थल के अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में क्रमश: 3 कि0मी0 एवं 5 कि0मी0 पर पुल अवस्थित है । वर्तमान में अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री नीरज कुमार सिंह: सभापति महोदय,उस पुल के उक्त जगह पर पहले से पक्की सड़क बनी हुई है। लगभग चार साल हो गया है दोनों तरफ पक्की सड़क बनकर तैयार है लेकिन अगर वहां पुल नहीं होता है तो लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी, उस पक्की सड़क का क्या काम होगा, लोग चल ही नहीं पायेंगे तो पूरा पक्की सड़क के निर्माण कार्य में जो धन राशि लगा हुआ है वह सब बेकार हो जायेगा और उस तरफ कई पंचायत हमारा छूट रहा है, अगर वहां पुल बन जाता है तो बहुत सारा पंचायत सीधा वीरपुर शहर से, अनुमंडल हेडक्वार्टर से जुड़ जायेगा। महोदय से मेरा आग्रह है कि एक बार फिर से दिखवा कर के पुल का कोशिश करावें। मैं संकल्प को वापस लेता हूॅ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से मा0स0 श्री नीरज कुमार सिंह का संकल्प वापस हुआ।

क्रम संख्या : 38-श्री शम्भुनाथ यादव,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 39-श्री नरेन्द्र नारायण यादव,स0वि0स0

श्री नरेन्द्र नारायण यादवः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिलान्तर्गत एन0एच0 107 माली मोड़ से खाड़ा,बुधमा,खुरहान,आलमनगर,बजराहा,फुलौत,धनेशपुर चिड़ौरी,चौसा, अरजपुर, नवटोलिया,डोभा,रूपौली तक जाने वाली पक्की पथ को एन0एच0 में बदलने हेतु अनुशंसा भारत सरकार को भेजे।''

श्री नन्द किशोर यादव,मंत्रीः महोदय,संकल्पाधीन पथांश को राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित करने हेतु सिफारिश करने के लिए सर्वेक्षण कराकर समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। अतः माननीय सदस्य से अनुराध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री नरेन्द्र नारायण यादवः धन्यवाद के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

क्रम संख्या : 40-श्री अरूण कुमार सिन्हा,स0वि0स0

श्री अरूण कुमार सिन्हाः सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भारत की प्राचीन एक्युप्रेशर/एक्युपंक्चर चिकित्सा पद्धति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए अन्य राज्य महाराष्ट्र की तरह बिहार राज्य एक्युप्रेशर/एक्युपंक्चर सिस्टम ऑफ मेडिसीन एक्ट बनावे।''

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्रीः महोदय,वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में एलौपेथी चिकित्सा के अतिरिक्त आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति ही संचालित है । इसके अलावे कोई अन्य चिकित्सा पद्धति की मान्यता बिहार सरकार द्वारा नहीं दी गयी है। एक्युप्रेसर चिकित्सा पद्धति को स्थापित करने हेतु आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय परिषद की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है। अतः केन्द्रीय परिषद की स्थापना होने के पश्चात् बिहार में एक्युप्रेसर/एक्युपंचर सिस्टम ऑफ मेडिसीन ऐक्ट बनाने पर विचार किया जायेगा। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूँ कि अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री अरूण कुमार सिन्हाः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि आयुर्वेद, यूनानी और होमियोपैथ से संबंधित सर्वप्रथम बिहार में ही ऐक्ट पास हुआ था जब कि 17 वर्ष बाद 1970 में केन्द्र में ऐक्ट बना, मतलब बिहार

में पहले हुआ, बाद में ऐक्ट बना और 19 वर्ष बाद मतलब 1972 में इसी प्रकार होमियोपैथ काउन्सिल बना । एक्युप्रेसर/एक्युपंक्चर पर विस्तार में 1972 से कार्य हो रहा है, जनता में मान्यता है। इसी आधार पर महाराष्ट्र में ऐक्ट बन गया, बिहार में यह पद्धति पहले ही से है इसलिए बिहार में बननी चाहिए । अब महाराष्ट्र भी आधार बन गया है । अत: स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर विचार करें, सरकार विचार करे, इस पर ध्यान दिलवाते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

क्रम संख्या : 41-श्रीमती गायत्री देवी,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 42-श्री मेवालाल चौधरी,स0वि0स0

श्री मेवालाल चौधरी: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिला के असरगंज प्रखंड के ग्राम बैजलपुर के अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण करावे।''

श्री मंगल पाण्डेय,मंत्री:महोदय,वस्तुस्थिति यह है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैजलपुर का भवन निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष में निधि उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूँ कि अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री मेवालाल चौधरी: महोदय, निवेदनपूर्वक मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बिना भवन के सारा इक्युपमेंट वहां है, एक्स-रे मशीन है,पेथौलोजिकल टेस्ट के सारे मशीन है और बरसात में सारे मशीन खराब हो जा रहे हैं इसलिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इसे जल्द से जल्द बनाने की कृपा करें इसके साथ हम संकल्प वापस लेते है।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

क्रम संख्या : 43-श्रीमती अमिता भूषण,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 44-श्री मो0 आफाक आलम,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 45-श्री लक्ष्मेश्वर राय,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 46-श्री मो0 नवाज आलम,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या: 47-श्री भाई वीरेन्द्र,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या : 48-श्री रत्नेश सादा,स0वि0स0

श्री रत्नेश सादा: सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिला अन्तर्गत सोनवर्षा विधान-सभा क्षेत्र के प्रखंड बनमा इटहरी के पंचायत घरदौड़ में जल संसाधन विभाग के नहर के पश्चिमी भाग महादेवा स्थान से रंगिरिया तक जर्जर पथ का पक्कीकरण करावे।''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री: महोदय,वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ के दोनों तरफ से बसावटों यथा महादेव स्थान को पहलाम चौक से, मुबारकपुर पथ एवं रंगीनियां को एन0एच0 107 सिमरी बख्तियारपुर सोनवरसा पथ से सम्पर्कता प्राप्त है। अभिस्तावित पथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री रत्नेश सादा: सभापति महोदय,बनवा इटहरी प्रखंड और सलखुआ प्रखंड के खास कर ग्रामीण क्षेत्रों का आवागमन महदेवा स्थान से रंगीनिया बख्तियारपुर होकर जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पथ को बनाने पर ध्यान दें और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ।

टर्न-8/मधुप/25.08.2017

क्रम संख्या-49 : श्री शकील अहमद खाँ, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या- 50 : श्री अमित कुमार, स0वि0स0

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : श्री अमित कुमार के बदले श्री आनंद शंकर सिंह ।

(माननीय सदस्य श्री आनंद शंकर सिंह अनुपस्थित)

क्रम संख्या- 51 : श्री मनोज कुमार, स0वि0स0

श्री मनोज कुमार : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड स्थित दरधा मोड़-सहरसा जर्जर पथ की मरम्मति करावे।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पथ की लंबाई 12.73 कि0मी0 है । यह पथ श्रेणी-1 का है । गत वर्ष अतिवृष्टि के कारण पथ की स्थिति खराब हो गई है । विभाग द्वारा श्रेणी-1 के पथों की मरम्मति करायी जा रही है ।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री मनोज कुमार : धन्यवाद के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 52 : डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या- 53 : श्री मिथिलेश तिवारी, स0वि0स0

श्री मिथिलेश तिवारी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिले के बैकुण्ठपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले बैकुण्ठपुर, सिधवलिया तथा बरौली प्रखंडों में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करे ।''

श्री जय कुमार सिंह, मंत्री : सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा संकल्पित सात निश्चय के कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एक अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जानी है। इसी क्रम में गोपालगंज जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु जिला के कुचायकोट अंचल अंतर्गत मौजा टोला सिपाया के थाना संख्या 741 रकबा 7.5 एकड़ का हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा प्रमंडलीय आयुक्त, सारण द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्रेषित की गई है ।

प्रखंड स्तर पर अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना नहीं है । भूमि स्थानांतरण होने के उपरांत गोपालगंज जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जानी है ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन को बताया है कि जिले में एक जगह कुचायकोट में अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के पास आया है। लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि जहाँ से मैं विधायक हूँ वहाँ एक प्रखंड पूरी तरह

नक्सल प्रभावित रहा है, नौजवानों को दिशा देने की जरूरत है, जमीन उपलब्ध है ।

इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि एक बार जरा दिल बड़ा करके इस विषय की ओर देखते हुये और बैकुण्ठपुर विधान सभा क्षेत्र में जमीन पर्याप्त है, सरकार की जमीन है, वहाँ पर अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने का विचार रखें और इसी आशा के साथ मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 54 : श्री मुद्रिका प्रसाद राय, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या- 55 : श्री फैसल रहमान, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या- 56 : श्री अशोक कुमार सिंह (क्षेत्र सं0 203), स0वि0स0

श्री अशोक कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कैमूर जिला के मोहनिया प्रखंड अंतर्गत कुदरा नदी में ग्राम सेमरिया के पास वियर बाँध का निर्माण कर पानी गारा नहर में गिराकर रामगढ़ और नुवाँव प्रखंड के खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करावे ।''

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सोन नहर प्रणाली अंतर्गत गारा चौबे शाखा नहर की कुल लंबाई 61 कि0मी0 की है । 33.08 कि0मी0 के पास कुदरा नदी पर बहुआरा पम्प योजना निर्मित है जिसके अंतर्गत 60 क्यूसेक के 4 अदद पम्प अधिष्ठापित हैं तथा इस योजना से गारा चौबे शाखा नहर में कुल 244 क्यूसेक अतिरिक्त जलश्राव प्रवाहित कराकर नहर के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाता है । बहुआरा पम्प स्थल पर 4 अदद पम्प चलाने हेतु कुदरा नदी में हमेशा पर्याप्त जलश्राव उपलब्ध नहीं रहता है । संकल्पाधीन सेमरिया ग्राम बहुआरा पम्प स्थल से लगभग 5 कि0मी0 डाउन-स्ट्रीम में अवस्थित है जहाँ नदी में पर्याप्त जलश्राव उपलब्ध नहीं रहता है । अतः उक्त स्थल पर वियर निर्माण तकनीकी रूप से संभाव्य नहीं है ।

अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अशोक कुमार सिंह : सभापति महोदय, जल संसाधन के क्षेत्र में यह सरकार बहुत बड़ा-बड़ा काम हमारे शाहाबाद के इलाके में कर रही है । आज से 40 साल पहले की योजना

दुर्गावती जलाशय बन गया, चौसा में पम्प कैनाल बन रहा है, तियरा पम्प कैनाल माननीय मंत्री जी बना रहे हैं, जैतपुरा बना रहे हैं ।

गारा चौबे नहर के किसानों को टेल में पानी नहीं मिल पाता है और 1966 में किसानों ने स्वयं श्रम करके और बॉध बनाकर गारा चौबे नहर में पानी डालकर अपने खेतों का सिंचाई करने का काम किया था । इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि एक बार उसपर विचार करें और जब सब काम कर रहे हैं तो इस वियर बॉध को भी बनावें । इसी के साथ में अपना संकल्प वापस लेता हूँ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 57 : श्री बशिष्ठ सिंह, स0वि0स0

श्री बशिष्ठ सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड-करगहर के सासाराम-चौसा पथ में जलालपुर से वैसपुरा होते हुए परसथुऑ-कुदरा पथ तक सड़क (नयका रोड) को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करावे ।''

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : महोदय, प्रश्नाधीन पथ की कुल लंबाई 20 कि0मी0 है जिसमें से 18 कि0मी0 पथांश ग्रामीण कार्य विभाग तथा 2 कि0मी0 पथांश जल संसाधन विभाग के क्षेत्राधीन है । विभागीय संकल्प संख्या 935(एस) दिनांक 07.02.17 के आलोक में पथ का अधिग्रहण किया जाता है । पथ से संबंधित फिजिबलिटी रिपोर्ट प्राप्त है । समीक्षोपरांत कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, हमलोग नया-नया एम0एल0ए0 जीतकर आये हैं । हम अपने माननीय मंत्री महोदय से निवेदनपूर्वक कहना चाहेंगे कि क्षेत्र में कुछ नया काम जायेगा तभी हमलोग अपने क्षेत्र में अपनी उपलब्धि को कहेंगे । इसलिये हम मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि बिहार में भी सरकार और केन्द्र में भी सरकार, पैसा अधिक लाकर हमलोगों के इलाके में चूंकि जो 20-25 कि0मी0 के लम्बी-लम्बी सड़कें ग्रामीण कार्य में बार-बार टूट जाने से चलने में दिक्कत होती है, अगर पी0डब्लू0डी0 हो जाता है तो हमेशा के लिये ठीक रहता है । इसलिये हम आग्रह पूर्वक कहते हुये कि इस काम को कराया जाय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 58 : सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रम संख्या- 59 : श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या- 60 : श्री जय वर्धन यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या- 61 : श्री अशोक कुमार सिंह, स0वि0स0 (क्षेत्र सं0 224)

श्री अशोक कुमार सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड में रफीगंज से चेंव तक 05.5 कि0मी0 सड़क जो श्रेणी-02 में है एवं काफी जर्जर है, का प्राथमिकता के आधार पर मरम्मति करावे ।''

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पथ की वास्तविक लंबाई 5.35 कि0मी0 है । पी0एम0जी0एस0वाइ0 योजना अंतर्गत केन्द्रीय एजेन्सी इरकॉन द्वारा निर्मित है । पथ की कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 20.01.2012 है । यह पथ पाँच वर्षीय अनुरक्षण से बाहर हो चुका है । यह पथ श्रेणी-2 का अर्हत्ता रखता है । वर्त्तमान में विभाग द्वारा श्रेणी-1 के पथों की मरम्मति प्राथमिकता के आधार पर करायी जा रही है ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री अशोक कुमार सिंह : वापस लेता हूँ ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 62 : श्री सत्यदेव सिंह, स0वि0स0

श्री सत्यदेव सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अरवल जिला अन्तर्गत कुर्था विधान सभा क्षेत्र के बंशी प्रखंडान्तर्गत सोनभद्र शादीपुर मुख्य पथ से सिद्धरामपुर होते हुए सेनारी-उपहारा मुख्य पथ तक प्रस्तावित अर्द्धनिर्मित सड़क, जो खाता नं0 2084, प्लॉट नं0 607 से गुजरती है, का अधिग्रहित कर शेष सड़क का निर्माण करावे ।''

टर्न–9/आजाद/25.08.2017

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, शादीपुर मुख्य पथ से सिद्धरामपुर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पैकेज सं0–बी0आर0–14आर0–221 से निर्माण किया गया है । पथ की लम्बाई 4.55 कि0मी0 है । पथ के 3.30 कि0मी0 से 3.50 कि0मी0 के बीच 200 मीटर में निजी भूमि रहने के कारण पथ के उस भाग में निर्माण कार्य नहीं हो सका है । इस भाग के निर्माण के लिए भूमि अर्जन की कार्रवाई की जा रही है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री सत्यदेव सिंह : सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, जो गोह–औरंगाबाद जाती है और सिद्धरामपुर में नेनुआ नाला पुल बन चुका है । पुल बन जाने से यदि उस सड़क का निर्माण हो जाता है तो बहुत ही जल्दी चालू हो जायेगा सड़क और जहां तक जमीन अधिग्रहण की बात है, जमीन मालिक जहानाबाद कोर्ट में आवेदन दिया था कि हम पैसा लेने को तैयार हैं, सरकार हमसे जमीन ले ले ।

इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि अतिशीघ्र जमीन का अधिग्रहण करके सड़क का निर्माण कराया जाय और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

क्रम सं0–63 : श्री विनय बिहारी, स0वि0स0

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत लौरिया विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड योगापट्टी के छः (6) पंचायत नवलपुर, ढढ़वा, खुटवनिया जरलपुर, पिपरहियॉ, सिसवॉ भूमिहार, सिसवॉ बैरामी एवं बगहा विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड बगहा (एक) के चार (4) पंचायत चन्द्राहॉ–रूपवलिया, बधुवड़ीया, अहिरवलिया, इंगलिसियां इन दसों (10) पंचायतों को मिलाकर नवलपुर प्रखंड का सृजन करे । ''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नवलपुर को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में विभाग को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । नवलपुर को प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में विहित प्रपत्र में पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को निदेशित किया गया है । पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विनय बिहारी : मैं धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-64 : श्री सुबाष सिंह, स0वि0स0

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम सं0-65 : श्री विनोद प्रसाद यादव, स0वि0स0

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महादेय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड के पिड़ासीन एवं बजौरा के पास निलांजन नदी पर पुल निर्माण करावे । ''

श्री शैलेश कुमार,मंत्री : महोदय, यह स्वीकारात्मक है । बजौर ग्राम बसावट को शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 बैच-1 में स्वीकृत पथ टी0-1 से बजौर से एकल सम्पर्कता प्रदान होगी । पथ निर्माणाधीन है । इस पथ के माध्यम से बजौर ग्राम एन0एच0-83 गया-डोभी पथ से सम्पर्कता हो जायेगा । पिड़ासीन बसावट को शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत निर्मित पथ करमौनी से पिड़ासीन 5.3 कि0मी0 पैकेज सं0-बी0आर0-12833 से एकल सम्पर्कता प्राप्त है । इस पथ के माध्यम से पिड़ासीन बसावट एन0एच0-83 गया-डोभी पथ से सम्पर्कीय है । ग्रामीण कार्य विभाग की प्राथमिकता पहले सभी बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान करना है । प्रश्नगत पुल के निर्माण का अभी कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री विनोद प्रसाद यादवः माननीय अध्यक्ष महोदय, चूँकि मैं जिस प्रस्ताव के माध्यम से पुल की बात कर रहा हूँ, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की जो सड़कें हैं, उसको कनेक्टवीटी के लिए पुल का निर्माण आवश्यक है और उससे हमारे क्षेत्र के दो तरफ के लोगों का आवागमन बाधित है, कनेक्टवीटी मिल जायेगा । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ा नदी है निलांजन नदी और उसमें बरसात के दिनों में 3-4 महीनों तक लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है तो वहां की परिस्थितियों को देखते हुए पुनः विभागीय अधिकारियों से देखवा लें और वहां के जरूरतों को देखते हुए पुल के निर्माण हेतु आवश्यक निदेश देने की कृपा करें । इसी के साथ मैं उनसे यही अपेक्षा करता हूँ और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-66 : श्री प्रभुनाथ प्रसाद, स0वि0स0

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अगिआंव गड़हनी पथ पर नहर पुल वर्ष 2015 को टूट गया है, जिसपर नये पुल का निर्माण करावे।''

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, प्रश्नाधीन पुल का निर्माण वित्तीय वर्ष 2017-18 के कार्य योजना में सम्मिलित है । अगले वित्तीय वर्ष में काम करा लिया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद : धन्यवाद के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-67 : श्री तारकिशोर प्रसाद,स0वि0स0

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार नगर निगम क्षेत्र के नाला से जल निकासी एवं वर्षा के पानी से सड़कों पर हो रहे जल जमाव से उत्पन्न नारकीय स्थिति के स्थायी समाधान हेतु राज्य योजना मद से बुडको द्वारा जल निकासी एवं शोधन का स्थायी समाधान करावे । ''

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ड्रैनेज से संबंधित डी0पी0आर0 बुडको द्वारा तैयार किया जा रहा है । डी0पी0आर0 प्राप्त होने के पश्चात् नगर निकाय बोर्ड की योजना पारित कराकर योजना की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कटिहार नगर निगम के चारों ओर कटिहार प्रखंड का लगभग 600 एकड़ जमीन कटिहार नगर के गंदे जल से डूबा हुआ है और बुडको कार्य एजेंसी के द्वारा ड्रैनेज निर्माण और उसके प्राक्कलन की तैयारी हो रही है तो बुडको का कार्य काफी धीमा है । इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह होगा कि यह त्वरित रूप से कैसे कार्य प्रारंभ हो और कार्य आगे बढ़े, इसका आग्रह करेंगे और आपके आश्वासन के आलोक में मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-68 : श्री संजय सरावगी, स0वि0स0

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के लहेरियासराय के अधिकांश मुहल्लों को जल-जमाव से मुक्त करने के लिए पूर्व में बने भूगर्भीय नाला की मरम्मती, सफाई एवं उसके अंतिम बिन्दु पर निर्मित सम्प हाऊस को पुनः चालू करावे । ''

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि लहेरियासराय कर्पूरी चौक से सैदनगर तक जाने वाली अन्डरग्राऊन्ड ड्रेन का निर्माण संभवतः वर्ष 1960 में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया गया था । यह नाला 8400'-0" लंबी ईट के जुड़ाई से निर्मित अंडाकार नाला है, जो कर्पूरी चौक पर 6'-0" की गहराई से शुरू होकर सैदनगर में 14'-0" गहरी है । इस नाले का रख-रखाव एवं सफाई का कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाता था । वर्ष 2002-03 में इसे दरभंगा नगर निगम को हस्तांतरित किया गया । हस्तांतरण के समय यह नाला पूर्णरूपेण अक्रियाशील थी । फलतः इससे जुड़े क्षेत्रों में जल जमाव होता था ।

कर्पूरी चौक से सैदनगर तक नाला सफाई हेतु कुल 107 चैम्बर है, जिसमें 75 कच्चे तथा 32 पक्के चैम्बर है । वर्ष 2014-15 में कर्पूरी चौक से आर0वी0 मेमोरियल तक कुल 18 चैम्बर का रिनोवेशन कर पक्की किया गया है ।

वर्त्तमान में कर्पूरी चौक से लेकर बेंता प्रिंस होटल तक अन्डरग्राऊन्ड नाला फंक्शनल है एवं इसके बाद की लंबाई में करीब-करीब नन्-फंक्शनल है । फलतः बेंता प्रिंस होटल के करीब से पानी का बहाव उल्टी दिशा में कर्पूरी चौक पर आती है तथा वहां से भटवा पोखर तथा भटवा पोखर में लगे मैकेनिकल पम्प के माध्यम से शहर के पूरब की ओर जाती है ।

शर्मा डायग्नोसिटक्स से कॉमर्शियल चौक होते हुए गुदरी बाजार, लोहिया चौक होते हुए सैदनगर पम्प हाऊस के निकट तक अन्डरग्राऊन्ड नाला करीब-करीब नन्-फंक्शनल है । इसकी लंबाई करीब 2800'-0" है । इस अन्डरग्राऊन्ड ड्रेन का उपरी सतह रोड के वर्त्तमान लेवल से लगभग 8'-0"(av) नीचे है । ज्ञात हो कि नाले के टौप क्रस्ट के ऊपर 4 फीट से लेकर 5 फीट तक मिट्टी एवं अन्य पदार्थ भरा हुआ है । नाले के भीतर स्लज, पोलोथीन एवं अन्य पदार्थ वर्षों से पड़े हुए हैं फलतः नाला से पानी का बहाव अवरूद्ध है । अतएव इस नाले को तोड़कर पुनः नए सिरे से नाला बनाने की आवश्यकता है । इसके लिए नगर निगम, दरभंगा द्वारा लगभग रू0 499.3900 लाख का अनुमानित प्राक्कलन तैयार किया गया है । इसके निर्माण हेतु एक उच्चस्तरीय तकनीकी दल का गठन कर इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त कर स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

कर्पूरी चौक से सैदनगर तक के भू-गर्भीय नाले की व्यवस्था में कर्पूरी चौक से सैदनगर तक Gravitational Force से पानी सैदनगर स्थित सम्प पम्प हाऊस तक आता रहा है तथा वहां से मैकेनिकल पम्प द्वारा पानी दरभंगा-समस्तीपुर सड़क के उत्तर स्थित कच्चे नाला में भेजा जाता है, जो अंततः बागमती नदी में जाती थी ।

वर्त्तमान में यह व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है । सैदनगर स्थित सम्प पम्प हाऊस पूरी तरह जीर्ण-शीर्ण हो गया है, जिसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है । इसमें लगे दोनों पम्प, जो क्रमशः 60 एवं 45 एच0पी0 के हैं, खराब है । अतः वर्त्तमान में काम चलाऊ व्यवस्था के तहत 5 एच0पी0 के पम्पिंग सेट से पानी सैदनगर कच्चे नाला में फेंका जाता है ।

पूर्व की व्यवस्था में सैदनगर कच्चे नाला से पानी वर्त्तमान में सैदनगर में स्थित विश्वकर्मा मंदिर के पश्चिम ठाठर पुल तक जाती थी तथा वहां से पानी का एक हिस्सा ठाठर पुल से दक्षिण स्थित चौर (जो निजी स्वामित्व का था) से होते हुए कटशिला नाला (बागमती कमला नदी को मिलाने वाली नहर) तक जाती थी तथा एक जल का दूसरा हिस्सा ठाठर पुल से पश्चिम सड़क के किनारे से बागमती नदी तक जाती थी, इस भाग में एकमी के निकट एक सम्प हाऊस भी है, जो नन्-फंक्शनल है ।

ठाठर पुल के दक्षिण से कटशिला नाला तक जाने वाली भूमि पर कई कॉलोनियां भवन आदि निर्मित हो जाने के कारण इधर से बहाव पूर्णतः बन्द है । ठाठर पुल से पश्चिम सड़क के किनारे से बागमती नदी तक जाने वाला रास्ता शहरी सुरक्षा तटबंध के निर्माण होने के बाद से बंद है । वर्त्तमान में पानी अगल बगल के खुली जमीनों से जाता था, जिसमें मकान आदि का निर्माण होने से जल जमाव की समस्या गंभीर होती जा रही है ।

अतः एकमी घाट पर बाढ़ सुरक्षा तटबंध में एन्टी फ्लड डिवाईस लगाकर एवं सम्प हाऊस के जीर्णोद्धार तथा जल शोधन यंत्र लगाकर पानी का बहाव बागमती नदी में गिराने हेतु रास्ता बनाने के लिए बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जायेगी ।

यह मामला काफी पुराना एवं जटिल है । इस पूरे मामले का अध्ययन तथा समीक्षा हेतु विभागीय स्तर पर प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक 01.09.2017 को निर्धारित की गई है । बैठक में विचारोपरांत आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जायेगा ।

टर्न-10/अंजनी/दि0 25.08.17

अध्यक्ष : बहुत विस्तार से जवाब दिया है मंत्री जी ने ।

श्री संजय सरावगी : जी हुजूर । बस माननीय मंत्री जी से यही आग्रह है कि माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि यह अतिमहत्वपूर्ण नाला है और अन्डरग्राउंड नाला शहर का बहुत पुराना है और 8200 फीट में 6200 फीट फंक्सनल है और 2000 फीट नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दिनांक 01.09 को उच्चस्तरीय बैठक रखी गयी है, बस इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण माननीय मंत्री जी रखते हुए करें । अगर यह हो जायेगा तो दरभंगा शहर का बड़ा भूभाग जल-जमाव से मुक्त हो जायेगा, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम सं0-69 : श्री अवधेश सिंह, स0वि0स0

श्री अवधेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिलान्तर्गत ढोली कृषि विश्वविद्यालय के निकट जमुहारी नदी पर निर्मित वर्षों से बंद पड़े स्लुईश गेट को खुलवाये ।"

श्री राजीव रंजन सिह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बूढ़ी गंडक नदी के दायें तटबंध अखाड़ा घाट से नीचे 32.79 किलोमीटर तक जमुहारी स्लुईस गेट अवस्थित है, जो नदी तट से वर्त्तमान में लगभग 1700 मीटर की दूरी पर है । स्लुईस गेट से नदी तक स्थित चैनल सिल्ड से भर जाने के कारण मृतप्राय हो जाने के फलस्वरूप विगत कई वर्षों से उच्च जलस्तर की स्थिति में भी नदी का पानी स्लुईस गेट तक नहीं पहुंच पाता है । उक्त स्लुईस गेट के अपस्ट्रीम में स्लुईस गेट पर सिल्ट भर जाने से उसका लेवल नदी तरफ स्लुईस के डाउनस्ट्रीम में अवस्थित चैनल के लेवल से उंचा हो गया है। ऐसी स्थिति में स्लुईस गेट खोलने से कंट्री साईड में अवस्थित चैनल का पानी स्लुईस के सहारे नदी में नहीं गिराया जा सकता है । उपर्युक्त स्थिति के कारण स्लुईस गेट भी वर्त्तमान में कार्यरत नहीं है । विस्तृत सर्वेक्षणोपरांत तकनीकी संभाव्यता के आधार पर स्लुईस की मरम्मति एवं जमुहारी नदी के पानी को बूढ़ी गंडक में गिराने के लिए योजना तैयार करने हेतु विभागीय पत्रांक 2995 दिनांक 21.08.2017 द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर को निर्देशित किया गया है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री अवधेश सिंह : महोदय, मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री अवधेश सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-70 : श्री जिवेश कुमार, स0वि0स0

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा एवं मधुबनी जिले में बहने वाली खिरोई नदी के दोनों तटबंधों पर मकिया (बेनीपट्टी/मधुबनी) से शोभन (बहादुरपुर/दरभंगा) तक पक्की सड़क का निर्माण करावे ।"

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा एवं मधुबनी जिले से बहने वाली खिरोई नदी के मकिया, बेनीपट्टी, मधुबनी से शोभन बहादुरपुर, दरभंगा तक दायां तटबंध की लम्बाई 37.50 किलोमीटर एवं बायां तटबंध की लम्बाई 46.50 किलोमीटर है । नदियों पर तटबंध के टॉप का उपयोग बाढ़ अवधि में तटबंध के निरीक्षण एवं बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के परिवहन हेतु किया जाता है । सड़क निर्माण का कार्य पथ निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाता है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, यह तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों मंत्री अगल-बगल में बैठे हुए हैं ।

अध्यक्ष : तब आप अगल छोड़कर बगल से बात कर लीजिएगा ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, मैं वही कहना चाह रहा हूँ । इसमें हमने व्यक्तिगत रूप से पहल भी किया था तो उसमें मुझे जवाब दिया गया कि अगर पथ निर्माण विभाग की सहमति होने के बाद ही कोई काम इसमें हो सकता है । इस कार्य को पथ निर्माण विभाग करेगा । पथ निर्माण विभाग हमसे एन0ओ0सी0 मांगेगा तो हम एन0ओ0सी0 दे देंगे । तो मेरे कहने का मतलब है कि अब तो दोनों आदमी अगल-बगल में हैं ।

अध्यक्ष : आप अलग से माननीय दोनों मंत्री से बात कर लीजियेगा । अभी आप अपने संकल्प को वापस ले लीजिए ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, अभी यही बांध टूटा है दरभंगा में । माननीय कृषि मंत्री जी इसको देखने के लिए भी गये थे । यही बांध टूटा है.....

अध्यक्ष : चलिए, अब तो तीन मंत्री इसमें इनवोल्व हो गये ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, मेरा निवेदन है कि मैं इस विश्वास के साथ कि इसपर विशेष रूप से ध्यान देते हुए इस कार्य को पूर्ण करा दिया जायेगा, यही कहकर मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या - 71 : श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या - 72 : श्री हरिनारायण सिंह,स0वि0स0

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालन्दा जिलान्तर्गत ग्रामीण कार्य प्रमंडल, हरनौत के चंडी प्रखंड के हासनचक-रैसा आर0डब्लू0डी0 पथ के रैसा मोड़ से दरियापुर आर0डब्लू0डी0 पथ अति क्षतिग्रस्त है । उक्त पथ को श्रेणी-II में लेकर मरम्मति करावे ।"

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, चंडी प्रखंड के हसन चकरैसा आर0डब्लू0डी0 पथ रैसा मोड़ से दरियापुर आर0डब्लू0डी0 पथ का अनुरक्षण संवेदक द्वारा नहीं किये जाने के कारण संवेदक के एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया है । क्षतिग्रस्त पथ की मरम्मति हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा रही है ।

अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री हरिनारायण सिंह : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री हरिनारायण सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रम संख्या - 73: श्री मुनेश्वर चौधरी,स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या - 74:श्री अनिल सिंह,स0वि0स0

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह केन्द्र सरकार की तर्ज पर चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी की नियुक्तियों में साक्षात्कार की व्यवस्था को समाप्त करे ।"

टर्न-11/ अशोक/ 25.08.2017

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, बिहार सरकार के समूह (ख) के अराजपत्रित पदों सहित समूह (ग) के अधिकांश पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में साक्षात्कार का

प्रावधान नहीं है । इन पदों पर नियुक्ति सामान्यतः लिखित परीक्षा के आधार पर ही होती है । उक्त समूहों के कतिपय पदों पर नियुक्ति के क्रम में सम्प्रति लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार का भी प्रावधान है । इन पदों के लिए भी नियुक्ति की प्रक्रिया से साक्षात्कार के प्रावधान को समाप्त किये जाने का विषय राज्य सरकार के स्तर पर सम्प्रति विचाराधीन है । समूह (घ) के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में पूर्व से ही साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध हैं कि कृपया अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय, नियुक्ति में पक्षपात को दूर करने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लालकिले के घोषणा के उपरान्त भारत सरकार में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है । महोदय, अभी-अभी गतिरोध के कारण बात नहीं हो पाई नहीं तो घ्यानाकर्षण के माध्यम से कुछ सदस्यों ने अभी बिहार रूरल लाईवलीहुड प्रोमेाशन सोसाईटी (जीविका) में परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को महोदय साक्षात्कार में कम अंक देकर फेल कर दिया गया और जिनका अधिक अंक था वे उससे वंचित रह गये महोदय। इसलिए मेरा आग्रह होगा माननीय मंत्री महोदय से कि सदन में घोषणा करते हुये चूंकि एन.डी.ए. की सरकार भारत सरकार और एन.डी.ए. की सरकार बिहार, मैं आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं, इसमें जो करप्सन होता हैं जो भ्रष्टाचार होता है जो अच्छे विद्यार्थी को रेाका जाता है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि इसमें सरकार घोषणा करे, इसको समाप्त करे महोदय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि सरकार के विचाराधीन है और बाकी पदों का मैंने जिक्र किया कि उसमें साक्षात्कार का कोई प्रावधान नहीं है । यह भी विचाराधीन हैं, जल्द ही निर्णय हो जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध हैं कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अनिल सिंह : सरकार के द्वारा दिये गये आश्वासन के आलोक में मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव हुआ ।

क्रम संख्या-75 श्री रामदेव राय (माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रम संख्या-76 श्री नौशाद आलम

श्री नौशाद आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला के ठाकुरगंज नगर पंचायत के नूरी चौक धर्मकांटा से कॉलेज, मंशीभटा होते हुए कटहलडांगी तक पक्की सड़क का निर्माण करावे । "

श्री शैलेश कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ के वर्णित सभी स्थल पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है, मुईचौक धर्मकांटा एन.एच 327 पर अवस्थित हैं एवं कॉलेज भी पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है । मुंशीभीटा पक्की सड़क एल.आर.पी. रोड से जिलेबिया मोड़ से मुरारीकच पथ से जुड़ा हुआ है । कटहलडांगी पथ निर्माण विभाग की सड़क किशनगंज-ठाकुरगंज पथ पर अवस्थित है । अभिस्तावित पथ ग्रामीण कार्य विभाग के किसी भी कोर नोट वर्क में सम्मिलित नहीं है इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरध हैं वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री नौशाद आलम : अध्यक्ष महोदय, ठाकुरगंज प्रखण्ड जो है वह मुख्यालय है बाजार है, असल बीच से बहुत जाम लगा रहता है इसलिये हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि एक ऐसा रोड बाहर से हो जाय कि जाम से बच जाय लोग इसी आशय के साथ मैं फिर से माननीय मंत्री से आग्रह करते हुये अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-77 श्री जितेन्द्र कुमार

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार वे अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में पैक्सों के बकाये रूपया का भुगतान एस.एफ.सी. के द्वारा यथाशीघ्र करावे । "

श्री राणा रणधीर, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिले में धान अधिप्राप्ति वर्ष 2016-17 में पैक्स/ के माध्यम से 186781.389(एक लाख छियासी हजार सात सौ एक्कासी दशलमव तीन आठ नौ) मे.टन धान की अधिप्राप्ति की गई है । अधिप्राप्ति धान की मात्रा के विरूद्ध कुल 124444.27(एक लाख चौबीस हजार चार सौ चौवालीस दशलमव दो सात) मे. टन सी.एम.आर. राज्य खाद्य निगम, नालंदा को उपलब्ध कराई गई है । जिसका मूल्य 295.68 करोड़ (दो सौ पंचानवें करोड़ अड़सठ लाख रूपये) के विरूद्ध राज्य खाद्य निगम, नालंदा द्वारा 247.20 (दो सौ सैतालीस करोड़ बीस सलाख रूपये) की राशि का भुगतान किया गय है । शेष बची 48.48 करोड़ (अड़तालीस करोड़ अड़तालीस लाख रूपये) की राशि के भुगतान की कार्रवाई राज्य खाद्य निगम द्वारा की जा रही है । अत: मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि इसके आलोक में वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, लगभग 50 करोड़ रूपये का बकाये का भुगतान नहीं होने से पैक्सों पर लगातार 11 प्रतिशत की दर से सूद लग रहा है जिसके कारण पैक्सों की

आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है महोदय, अतः पैक्स हित में सूद सहित बकाया का भुगतान कराने की कृपा की जाय महोदय । इसी विश्वास के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-78 श्री राज कुमार राय

श्री राज कुमार राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला अंतर्गत समस्तीपुर से खगड़िया रेलखण्ड के हसनपुर स्टेशन के रामपुर ढाला पर रेल पुल (ऊपरी सड़क) निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के रेल मंत्रालय से सिफारिश करे ।"

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री :महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत समस्तीपुर से खगड़िया रेलखण्ड के हसनपुर स्टेशन के रामपुर ढाला पर रेल पुल (उपरी सड़क) निर्माण हेतु राज्य सरकार, रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करेगी । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राज कुमार राय : धन्यवाद, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री श्यामबाबु प्रसाद यादव : क्रम संख्या-20 मेरा बाकी है ।

क्रम सं0-20 : श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव,स0वि0स0

अध्यक्ष : क्रम संख्या-20, ग्रामीण कार्य विभाग । माननीय सदस्य अभी आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें । माननीय मंत्री, आपको जवाब भेजवा देंगे ।

श्री श्यामबाबु प्रसाद यादव : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा गैर सरकारी संकल्प, जो क्रम संख्या-2 पर है, बाकी है ।

अध्यक्ष : आप नम्बर दो वाले कहां चले गये ? चलिये नम्बर-2 श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह । आप पहले पढ़िये ।

क्रम संख्या-2 श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड के बैरिया में पॉवर सब स्टेशन का शीघ्र निर्माण करावे।"

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : औरंगाबाद जिला अन्तर्गत नवीनगर प्रखण्ड के बैरिया में बी.आर.जी. एफ. पार्ट टू योजनान्तर्गत विद्युत उप-केन्द्र का निर्माण स्वीकृत है । उक्त विद्युत उप केन्द्र का निर्माण कार्य मेसर्स इन्ग्रो इंजीनीयर प्रोजेक्ट लि0, नई दिल्ली को आंवटित किया गया है । मेसर्स इन्ग्रो इंजीनीयर प्रोजेक्ट लि0 के द्वारा किये जा रहे कार्यो में समुचित प्रगति नहीं होने के वजह से अग्रिम राशि जप्त कर ली गई तथा शेष कार्यो को मेसर्स कैबकॉर्न इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड को सब लेट कराया जा रहा है, इसके द्वारा विद्युत उपकेन्द्र, बैरिया का निर्माण का लक्ष्य मार्च, 2018 है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध हैं कि वे कृपया अपना संकल्प वापस लें ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-64 : श्री सुबाष सिंह,स0वि0स0

श्री सुबाष सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह चुनावों में आधार आधारित बायोमेट्रिक वोटिंग की व्यवस्था किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करे ।"

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, प्रश्नगत संकल्प आधार पर आधारित बायोमेट्रिक वोटिंग की व्यवस्था किये जाने से संबंधित है, जो निर्वाचनों के संचालन से संबंधित है । विदित है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत गठित भारत निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों के संचालन का, अधीक्षण का, निदेशन का और नियंत्रण की पूर्ण शक्ति निहित है । इसके अतिरिक्त आधार के निर्वाचन संबंधी उपयोग के बिन्दु पर मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है । अतः उक्त तथ्यों के आधार सरकार को अलग से प्रस्ताव हेतु कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री सुबाष सिंह : मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या- 45 श्री लक्ष्मेश्वर राय,स0वि0स0

श्री लक्ष्मेश्वर राय : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही प्रखंड के लौकही फहुड़ी चौक से महादेव मठ होते हुए भुतहा तक जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण करावे ।"

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत लौकही प्रखंड के लौकही फहुड़ी चौक से महादेव मठ होते हुए भुतहा तक जाने वाली सड़क, जिसकी लम्बाई 28.60 कि.मी. है, इन्डो–नेपाल परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत है तथा संवेदक मेसर्स जे0के0एम0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि0, नई दिल्ली द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका था । कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 09.05.2013 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 08.11.2015 थी परन्तु संवेदक द्वारा कार्य में अत्यंत धीमी गति के कारण उनके विरूद्ध कार्रवाई आरम्भ की गई, फलस्वरूप संवेदक द्वारा कार्य को बन्द कर दिया गया और आरबीट्रेशन ट्रिब्यूनल में Reference Case दायर किया गया । माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 28.09.2016 को Not to take any Coercive action against the contractor पारित किया गया । ट्रिब्यूनल के उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. दायर किया गया है, जिसका ओथ नं0–6010 दिनांक 31.07.2017 है। माननीय ट्रिब्यूनल एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के उपरान्त ही पथ निर्माण का निर्णय लिया जा सकता है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

टर्न–12/ज्योति

25–08–2017

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, यह इण्डो–नेपाल सड़क है और यह उच्च न्यायालय के अंतर्गत है लेकिन हम चाहेंगे कि विभागीय स्तर पर पहल हो । यह अन्तर्राष्ट्रीय सड़क है, पहल होकर निश्चित रुप से बने । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

अध्यक्ष का समापन भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, षोडश बिहार विधान सभा का सप्तम सत्र दिनॉक 21 अगस्त, 2017 से प्रारम्भ होकर आज दिनॉक 25 अगस्त, 2017 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल–05 बैठकें हुई ।

दिनॉक 21 अगस्त, 2017 को षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित 'आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016' को महामहिम राज्यपाल द्वारा दोनों सदनों के पुनर्विचार हेतु संदेश के साथ वापस किया गया, जिसे आसन द्वारा सदन को

सूचित किया गया । बिहार विधान सभा में उद्‌भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 12 (बाहर) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया । महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की प्रमाणीकृत प्रति को प्रभारी मंत्री, पंचायती राज द्वारा सदन पटल पर रखा गया । प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । सत्र के दौरान कुल-05(पाँच) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई ।

दिनाँक 23 अगस्त, 2017 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा अधिकाई-व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग को सदन में प्रस्तुत किया गया, जो गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुआ ।

दिनाँक 24 अगस्त, 2017 को वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक-व्यय विवरण में सम्मिलित समाज कल्याण विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद मांग स्वीकृत हुई तथा शेष मांग गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुआ ।

इस सत्र में कुल-89 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 87 स्वीकृत हुए एवं 02 अस्वीकृत हुए । कुल 46 याचिकाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 38 स्वीकृत एवं 08 अस्वीकृत हुईं ।

इस सत्र के दौरान कुल-78 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएं प्राप्त हुईं।

इस सत्र में कुल 11 (ग्यारह) राजकीय विधेयकों को सदन की स्वीकृति मिली ।

राजकीय विधेयक :

(1) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोवस्त (संशोधन) विधेयक, 2017,
(2) बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017,
(3) बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2017,
(4) बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017,
(5) बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1986-87, 1989-90, 1993-94 एवं 1995-96)(संख्या-2) विधेयक, 2017,
(6) बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017,
(7) बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक, 2017,
(8) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017,
(9) बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2017,

(10) बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017,

(11) बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2017 को सदन की स्वीकृति मिली ।

सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन एवं नियमावली सदन पटल पर रखी गयी ।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल, एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ ।

पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का कार्य किया, उन्हें साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।